न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा।
स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–464/2026
CNR No.-UPAG01-005558-2026
राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

18.06.2026

आज यह पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत दिनांक पर स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक व विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है, आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब आवेदक राम सिंह की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या–512/2015 अपराध संख्या–113/2015 अन्तर्गत धारा–147,148,149,307,302,504,506 भा0दं0सं0 थाना खन्दौली जिला आगरा, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, आगरा में विचाराधीन है जो लीडिंग पत्रावली है जिसमें करीब 08 गवाह हो चुके है तथा इस पत्रावली से संबंधित अन्य सत्र परीक्षण संख्या–512ए/2015 बनाम जय गोपाल व सत्र परीक्षण संख्या–512बी/2015 एवं सत्र परीक्षण संख्या–3239/2023 बनाम हरिपाल भी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, आगरा में विचाराधीन हैं। अन्य संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–711/2015 बनाम सुन्दर आदि, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–13, आगरा में विचाराधीन है। सभी सत्र परीक्षणों का निस्तारण एक साथ होना विधि अनुकूल है, सभी सत्र परीक्षण एक ही घटना/अपराध संख्या/धारा/थाना से संबंधित हैं। अतः सभी पत्रावलियों को एक ही न्यायालय में अंतरित करने की प्रार्थना की गई है। समर्थन में शपथपत्र 4ब प्रस्तुत किया गया है।

वादी अजयपाल की ओर से जवाब 8ब प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि वह मामले का वादी है, अपराध संख्या–113/2015 से संबंधित सत्र परीक्षण संख्या–512/2015 बनाम राम सिंह, सत्र परीक्षण संख्या–512ए/2015 बनाम जयगोपाल, सत्र परीक्षण संख्या–512बी/2015 बनाम हरिपाल, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, आगरा में तथा सत्र परीक्षण संख्या–711/2015 बनाम सुन्दर, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–13, आगरा में विचाराधीन है, सभी वादों को एक ही न्यायालय में सुनवाई/निस्तारण्ध हेतु भेजे जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

संबंधित न्यायालयों से उक्त वादों के लम्बित होने के सम्बन्ध में आख्यायें प्राप्त हुयीं हैं।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि सत्र परीक्षण संख्या–512/2015, 512ए/2015, 512बी/2015, 3239/2015 एवं 711/2015 को एक ही अपराध संख्या–113/2015 से संबंधित होना कहा गया है, अतः सभी मामलों का एक ही न्यायालय द्वारा विचारण व निस्तारण किया जाना विधितः अपेक्षित है। अतः समस्त तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ब स्वीकार किया जाता है। सत्र परीक्षण संख्या–711/2015 बनाम सुन्दर आदि, को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–13, आगरा से वापस लेते हुए विधिनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–07, आगरा में स्थानान्तरित किया जाता है।

यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र तद्नुरूप निस्तारित किया जाता है। संबंधित न्यायालयों को सूचित किया जाये।

तदोपरान्त इस स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।

दिनांक 18.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.18 13:17:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court